बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक– प्र06–विविध–60 / 2025 2160 खाद्य, पटना / दिनांक– 07/05/2026

प्रेषक,

उपेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम,
खाद्य भवन, पटना।

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के लिए कुल Generated SIO के विरूद्व ससमय शत–प्रतिशत SIO Dispatch किये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के विरूद्व ससमय शत–प्रतिशत SIO Dispatch नहीं किये जाने के कारण खाद्यान्न का उठाव प्रभावित होता है, फलस्वरूप उक्त अधिनियम के अधीन आच्छादित लाभुकों को ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है। विलंब से SIO Dispatch किये जाने के कारण अंततः खाद्यान्न वितरण प्रभावित होता है। विविध सूचना माध्यमों से राज्य अन्तर्गत कुछ जिलों में ऐसे मामले संज्ञान में आया है। इस संदर्भ में विभिन्न जन वितरण प्रणाली संगठनों एवं अन्य हितधारकों द्वारा भी समय–समय पर विभाग को सूचित किया जाता रहा है।

अतः अनुरोध है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक माह के 20वीं0 तारीख तक कुल Generated SIO के विरूद्व शत–प्रतिशत SIO Dispatch किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/- 6/5

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–प्र06–विविध–60 / 2025 2160 खाद्य, पटना / दिनांक– 07/05/2026

प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी / सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 6/5

सरकार के विशेष सचिव।

D:\Y.E.A.R-2026\S.E.T.I.O.N-\Avi - 26.docx